पटना में दिनांक–19 नवम्बर, 2019 मंगलवार को अपराह्न 04:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये:–

जल संसाधन विभाग

1. जल संसाधन विभाग के कार्यों के निष्पादन में तकनीकी परामर्श हेतु अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता के समकक्ष तकनीकी परामर्शी के गैर संवर्गीय पद का दिनांक 01.06.2019 से एक वर्ष के लिये अस्थायी रूप से पद सृजन एवं श्री इन्दु भूषण कुमार, सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख, मुख्यालय, जल संसाधन विभाग, बिहार सम्प्रति तकनीकी परामर्शी, जल संसाधन विभाग, बिहार के तकनीकी परामर्शी के गैर संवर्गीय पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति को अतिरिक्त एक वर्ष (दिनांक 01.06.2019 से दिनांक 31.05.2020 तक) के लिए अवधि विस्तार करने के संबंध में। — 1. स्वीकृत।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना (Bihar State Biodiversity Board) के कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यों के संचालन हेतु विभिन्न कोटि के कुल–09 संविदा आधारित पदों के सृजन का प्रस्ताव। — 2. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

3. भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत उद्यान प्रमंडल, पटना के कार्यों के सम्यक एवं सुचारू संचालन हेतु गैर योजना मद में कुल ₹30,86,40,000/–(तीस करोड़ छियासी लाख चालीस हजार रूपये) मात्र अनुमानित वार्षिक व्यय पर उद्यान प्रमंडल, पटना में परिचारी (माली) (समूह–'घ') के कुल 1000 (एक हजार) पदों का सृजन। — 3. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

4. इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना के कुल 07 (सात) अनुपयोगी पदों को प्रत्यर्पित करते हुए विभिन्न स्तर के चिकित्सीय, प्रशासनिक, तकनीकी एवं गैर–तकनीकी स्तर के कुल 383 (तीन सौ तेरासी) नये पदों के सृजन की स्वीकृति। — 4. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

5. इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना के कार्डियोलॉजी तथा कार्डिएक कैथ लैब एवं कार्डियोथोरैसिक सर्जरी विभाग के लिए परफ्यूजनिस्ट के कुल 6 (छः) पदों के सृजन की स्वीकृति। — 5. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

6. स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर प्रखंड स्थित नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अररिया संग्राम को L-III स्तरीय ट्रामा सेन्टर के रूप में विकसित करते हुए विभिन्न कोटि के कुल 73 (तिहत्तर) पदों के सृजन की स्वीकृति। — 6. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

7. स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खनवाँ (नवादा) को क्रियाशील करने हेतु आवश्यक विभिन्न कोटि के कुल 61 (एकसठ) पदों के सृजन की स्वीकृति। — 7. स्वीकृत।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

8. बियाडा की भूमि का राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (NIPER), हाजीपुर के पक्ष में निष्पादित होने वाले पट्टा दस्तावेज (Lease document) के निबंधन पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क में कमी के संबंध में। — 8. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

9. सुपौल न्यायमंडल के अंतर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बीरपुर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रवेश बिन्दु) संवर्ग में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 01 (एक) पद का 17,46,809/–(सत्रह लाख छियालीस हजार आठ सौ नौ रूपये) मात्र के कुल अनुमानित वार्षिक व्यय भार पर सृजन की स्वीकृति। — 9. स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

10. वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं आगामी वर्षो में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के शत–प्रतिशत अनुदान पर संचालित केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम कृषि सांख्यिकी में सुधार योजना अन्तर्गत क्षेत्रफल एवं उत्पादन का द्रुत सर्वेक्षण (TRS-Timely Reporting Scheme) तथा फसल सांख्यिकी के सुधार के निमित्त योजना (ICS- Improvement of Crop Statistics) शीर्ष के अन्तर्गत पदस्थापित पदाधिकारी/कर्मी के वेतनादि का नियमित भुगतान राज्य सरकार के निधि से करने एवं इसकी प्रतिपूर्ति/समायोजन भारत सरकार से विमुक्त होने वाली राशि से करने की स्वीकृति। — 10. स्वीकृत।